

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(2)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 06 JUL 2016

::आज्ञा::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की दो वर्ष के परिवीक्षाधीन आधार पर नियुक्ति इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(2)न्याय/2013 दिनांक 30.03.2016 को की गई थी।

उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में निम्न अभ्यर्थियों ने अन्य सेवाओं में चयन हो जाने के कारण कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में विभाग में पत्र प्रेषित किए, जिसके आधार पर निम्न अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है :-

क्र.सं.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पता
1.	35	निधि शर्मा	172, महावीर नगर, साँधी फार्म, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान-302018
2.	115	हरेन्द्र कुमार डागर	दासपा की हवेली, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर, राजस्थान-342001
3.	104	अजय मीणा	21, दुर्गा विहार कॉलोनी, राम मन्दिर के सामने, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर-302029

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

-हं-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. निजी पत्रावली।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबर आईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव